न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प सांभरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 35 / 2018

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

धरमाराम पुत्र कानाराम जाट
निवासी सांभरा

1 खेताराम पुत्र मैनाराम जाट
2 सोनी पत्नि भगवानाराम जाट
3 हड़मानराम पुत्र भगवानाराम जाट
4 मनणाराम पुत्र भगवानाराम जाट
5 ठाकराराम पुत्र भगवानाराम जाट
6 चनणा पत्नि भगवानाराम जाट
निवासी सांभरा तहसील पचपदरा
7 लालाराम पुत्र काछबाराम जाट
8 तुलसाराम पुत्र काछबाराम जाट
9 ठाकराराम पुत्र काछबाराम जाट
निवासी लापुदड़ी तहसील गिड़ा
10 डूंगरराम पुत्र चैनाराम जाट
11 खेमाराम पुत्र चैनाराम जाट
12 अणची पत्नि डूंगरराम जाट
13 पारु देवी पत्नि खेमाराम जाट
निवासी सांभरा तहसील पचपदरा

प्रार्थना पत्र 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1995

आदेश

दिनांक : 03.05.2018

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांभरा पटवार क्षैत्र खेड़ के खातेदारी खेत खसरा नंबर 97 नया खसरा नम्बर 327/97 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा भूमि संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" में मार्क A To B बंरग लाल 30 फीट चौड़ा रास्ता कृषि उपयोग के लिए अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु रास्ता स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः कैम्प सांभरा के खसरा नंबर 327/27 रकबा 01.08 बीघा में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण नया रास्ता माफिक परिशिष्ठ "अ" में मार्क A To B कायम करने की स्वीकृति प्रदान करवाने। उक्त भूमि आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाने की स्वीकृति प्रदान करावे।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि उक्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है एवं आवागमन उपयोग हेतु भूमि न्यायालय क्षरा आदेशित है अतः खसरा नंबर 327/97 रकबा 1.08 बीघा भूमि को बिना किसी प्रतिफल के रास्ता घोषित करना प्रस्तावित किया है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट व दस्तावेजो का अवलोकन किया। पूर्व में किये गये विभाजन में उक्त भूमि आवागमन कृषि उपयोग के लिये सामलाती खाते मे रखी गई थी। तहसीलदार पचपदरा ने उक्त भूमि आवागमन हेतु रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।

अतः मौजा ग्राम सांभरा के खसरा नंबर 327/97 रकबा 01.08 बीघा को नया रास्ता घोषित किया जाता है जो सभी सह खातेदारो के सामुहिक रुप से आवागमन में काम आने से उक्त भूमि का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। रास्ते का रकबा 01.08 बीघा पूर्व खातेदार की खातेदारी मे यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प सांभरा

Scanned by CamScanner